न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 618–दो/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–3–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 223/अपील/2005–06.

1– बाबूलाल पिता धन्नालाल गुप्ता
2– जगदीश पिता धन्नालाल गुप्ता (मृत) वारिसान–
(अ) राजेश पिता स्व. जगदीश
(ब) श्याम पिता स्व. जगदीश
(स) संगीता पिता स्व. जगदीश
(द) शारदा पिता स्व. जगदीश
(इ) अनीता पिता स्व. जगदीश
निवासीगण ग्राम सिंघाना
तहसील मनावर जिला धार ....**आवेदकगण**

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला धार
2– सुरेश पिता हीरालाल
3– कुसुमबाई बेवा रमेशचन्द्र
4– चन्द्रकान्ता पिता रमेशचन्द्र
5– सुनील पिता रमेशचन्द्र
निवासीगण ग्राम अजन्दीकोट
तहसील मनावर जिला धार ....**अनावेदकगण**

श्री पी0जी0 पाठक, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री टी0टी0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मृतक मूलधारक हीरालाल के विरूद्ध म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (जिसे संक्षेप में सीलिंग अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । मृतक हीरालाल के विरूद्ध विवरणी का प्रकाशन किया जाकर सुनवाई प्रारंभ की गई । प्रकरण अनेक स्तर पर विचाराधीन होकर प्रचलित रहने के दौरान मूल धारक हीरालाल की मृत्यु हो गई । तत्पश्चात उसके वारिसानों के विरूद्ध प्रकरण प्रचलित रहा, और दिनांक 29–6–2006 को कलेक्टर, जिला धार द्वारा आदेश पारित किया जाकर मृतक मूल धारक के वारिसानों की भूमि मानते हुए प्रश्नाधीन भूमि अतिशेष घोषित की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–3–2009 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1927–28 से हीरालाल के कब्जे में होने के बावजूद रमेश एवं सुरेश की भूमि मानकर अतिशेष घोषित करने में कलेक्टर द्वारा भूल की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर शिकमी के तौर पर हीरालाल को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त थे, इसलिए रमेश, सुरेश की भूमि मानकर अतिशेष घोषित नहीं की जा सकती थी ।

(3) सीलिंग अधिनियम वर्ष 1960 में लागू हुआ है, और इतने वर्षों बाद प्रकरण विचार क्षेत्र में लेने का कोई कारण कलेक्टर द्वारा नहीं बतलाया गया है ।

(4) कलेक्टर को राजस्व अभिलेखों की वास्तविक स्थिति पता होने के बावजूद भी आवेदकगण को बिना सूचना दिये आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना है ।

(5) कलेक्टर द्वारा हितधारियों को बिना किसी प्रकार की कोई सूचना दिये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि धारक हीरालाल व उसके वारिसानों की नहीं है, और उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि मुक्त करने की याचना की गई थी, जिसे नहीं मानकर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो अवैध होने से शून्यवत है ।

(7) दिनांक 1–1–1971 से 7–3–1974 के बीच एवं उसके पश्चात प्रश्नाधीन भूमि पर हीरालाल तथा उसके वारिसानों का कब्जा नहीं होकर आवेदकगण का कब्जा रहा है, इसके बावजूद आवेदकगण को सूचना दिये बगैर, उनके जवाब प्राप्त किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(8) कलेक्टर द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है कि पंजीकृत विक्रय को निरस्त करने का अधिकार व्यवहार न्यायालय को होकर राजस्व न्यायालय को नहीं है ।

(9) आवेदकगण द्वारा क्रय की गई भूमि को मुक्त कर अनावेदक कमांक 5 की अन्य भूमि लिये जाने में अनावेदक कमांक 5 द्वारा सहमति दी गई है, जिसे नहीं मानकर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अतिशेष घोषित होकर शासन की भूमि है, जिसे आवेदकगण द्वारा क्रय की गई है, इसलिए उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं ।

5/ अनावेदक कमांक 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में अन्य आधारों के साथ महत्वपूर्ण आधार केवल यही उठाया गया है कि आवेदकगण द्वारा क्रय की गई भूमि सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत मुक्त की जाकर अनावेदक कमांक 5 की अन्य भूमि लिये जाने में उनकी सहमति है ।

6/ शेष अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क्रय की गई है, और केता होने के नाते कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के विकेता की हैसियत कथित मौरूसी कृषक की है, अतः जब विकेता को ही प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त नहीं थे, तब आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमियों पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार

इस निगरानी में परिलक्षित नहीं होता है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2009 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर